न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर कानपुर देहात।
मूल वाद सं०– 11/2022
जगदेव प्रसाद शर्मा बनाम दिनेश चन्द्र गुप्ता।

दिनांक 20/01/2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाफ्ता दीवानी पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 8 ग से दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया। शपथकर्ता का कथन है कि वह उक्त मुकदमें में वादी है। प्रार्थी वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिकन्दरा कानपुर देहात में "मैनेजर ब्रान्च आपरेशन" के पद पर कार्यरत है तथा सिकन्दरा में ही रह कर नौकरी करता है तथा कैंसर रोग से पीड़ित है। एक शान्तप्रिय नागरिक है। प्रार्थी ने एक किता अवासीय प्लाट न० 1 स्थित मेन रोड मुहल्ला राजेन्द्र नगर नगर पालिका परिषद पुखरायाँ पर० व तह 0 भोगनीपुर जिसकी लम्बाई पूरब पश्चिम 80 फीट, चौडाई उत्तर दक्षिण 4 फीट को जरिए पंजीकृत बैनामा तहरीर तारीख 4/10/2016 पंजियन तारीख 5/10/2016 को उसकी अवलन मालिक साहना खातून उर्फ अफसाना खातून पत्नी शकील अहमद उर्फ जुगन्न निवासी भोगनीपुर से क्रय किया था उक्त क्रय शुदा प्लाट न० 1 के उत्तर स्थित प्लाट न० 2 जिसकी लम्बाई पूरब पश्चिम 80 फीट चौड़ाई उत्तर दक्षिण 14 फीट जो कि आपस में सटे है को भी वादी ने विक्रेतनी साहना खातून उर्फ अफसाना खातून से जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 8/12/2016 को समस्त अधिकारों सहित क्रय किया था उक्त दोनों प्लाटों की संयुक्त चौहद्दी में उत्तर भक्कूलाल गुप्ता का मकान, दक्षिण प्लाट दिनेश पुरवाल, पूरब त्रिवेदी राईस मील पश्चिम कानपुर झाँसी राजमार्ग बादहू भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुखरायाँ स्थित है, का वादी मालिक काबिज स्वामी बैनामों के आधार पर है जिसे नक्शा प्रार्थना पत्र में निशानी अक्षर – क, ख, ल, व से प्रदर्शित किया गया है जिसमें चारों ओर से नींव भर कर वादी ने सुरक्षित कर रखा है नक्शा नजरी प्रार्थना पत्र का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। शपथकर्ता ने प्लाट न० 2 जिसका पंजीकृत बैनामा दिनांक 8/12/2016 को हुआ था जिसका पंजियन वही सं० 1 जिल्द सं0 2061 पृष्ठ सं० 295 से 324 पर क्रमांक 5253 पर सब रजिस्टार कार्यलय भोगनीपुर में पंजीकृत है जिसे नक्शा प्रार्थना पत्र में क,ख,य,र से प्रदर्शित किया गया है जिसकी नाप पूरब पंश्चिम 80 फीट उत्तर दक्षिण 14 फीट जिसके उत्तर भक्कूलाल गुप्ता का मकान दक्षिण वादी का प्लाट न० 1 बाद प्लाट दिनेश पुरवार पूरब त्रिवेदी राईस मिल पूश्चिम कानपुर झाँसी मार्ग स्थित है जिसमें निशानी अक्षर क, ख, ग, घ, बारंगलाल भाग विवादित है जिसकी नाप व चौहददी प्रार्थनापत्र के अन्त में दी गयी है तथा शपथपत्र में विवादित स्थल से सम्बोधित किया गया है।शपथकर्ता विवादित स्थल का तनहा मालिक काबिज स्वामी पंजीकृत बैनामा दिनांक 8/12/2016 के आधार पर है तथा विवादित मौके पर बाशक्ल प्लाट है जिससे प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध सरोकार हक व हिस्सा नहीं है फिर भी प्रतिवादी गुन्डा गर्दी के बल पर जबरन विवादित स्थल पर कब्जा करने की नियत रखता है जबकि विवादित प्लाट के आस पास प्रतिवादी का कोई या मकान नहीं है। प्रतिवादी शेरे पुस्त भूमाफिया किस्म के लोग हैं तथा उनका अराजक तत्वों का साथ रहता है इस कारण वह लोग, लोगों के खाली पड़े प्लाटों पर कब्जा करने का एक संगठित गिरोह बना रखा है । प्रतिवादी दिनांक 16/01/2022 को समय करीब 12 बजे दिन अपने साथ अराजक तत्वों को ले कर मजदूरों के साथ मौके पर आया और विवादित स्थल की नाप जोक कर वादी की भरी हुई नीव को तोड़ने लगे जैसे ही वादी को प्रतिवादी के इस बेजा कार्य का पता चला तो वादी मौके पर गया और प्रतिवादी विवादित प्लाट पर कब्जा करने से रोका तो प्रतिवादी झगड़ा फिसाद हुआ और मोहल्ले वालों के आ जाने पर यह धमकी दे कर मौके से चले गये कि किसी अन्य दिन और अधिक आदमियों को लेकर आऊंगा और विवादित स्थल पर निर्माण कार्य करा कर कब्जा कर लूगा । शपथकर्ता ने उक्त घटना की सूचना पुलिस चौकी पुखरायां में दी परन्तु चौकी पुलिस ने अदालत से स्टे लाने पर ही मदद की बात कही है। शपथकर्ता एक सीधा सादा बैंक कर्मी है और अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है तथा कैंसर रोग से पीड़ित है इस कारण प्रतिवादी का सामना मौके पर नहीं कर सकता है इस कारण वादी को वर्तमान वाद दाखिल कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

वाद का वाद कारण दिनांक 16/01/2022 को समय करीब 12 बजे दिन तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी मौके पर अराजक तत्वों एवम् मजदूरों को ले कर मौके पर आये और विवादित स्थल पर वादी की भरी हुई नींव को तोड़ कर कब्जा करने का प्रयास करने लगें वादी के मना करने पर भविष्य में कब्जा करने की धमकी दे कर मौके से चले गये तब से वाद कारण बराबर बना हुआ है तथा क्षण प्रतिक्षण पैदा हो रहा है। वाद का कारण माननीय न्यायलय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है तथा विवादित प्लाट भी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है उक्त वाद की सुनवाई व फैसला करने का पूर्ण अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। सुविधा का संतुलन शपथकर्ता के पक्ष में है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध है। शपथकर्ता का वाद प्रथम दृष्ट्या साबित है तथा शपथकर्ता विवादित स्थल का तनहा मालिक मालिक काबिज व दखील बैनामा के आधार पर है। यदि दौरान वाद शपथकर्ता के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित न किया गया तो शपथकर्ता की प्रतिवादी की अपेक्षा अपूणीर्य क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति धन द्वारा सम्भव न होगी।

वादी द्वारा फेहरिश्त 8 ग से कागज सं०–9 ग 1 बैनामा की मूलप्रति, कागज सं०– 10 ग 1 बैनामा की मूलप्रति, कागज सं०–11 ग 1 रिजेन्सी हेल्थ केयर के दवा के पर्चा की छायाप्रति व स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।

पत्रावली पर दाखिल सूची 8ग के माध्यम से कागज सं०–9ग बैनामा की मूलप्रति, कागज सं०– 10ग 1 बैनामा की मूलप्रति दाखिल की गयी। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्लाट क्रय किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रश्नगत प्लाट के विवादित स्थल की चौहद्दी उत्तर भक्कूलाल गुप्ता का मकान,दक्षिण में वादी का जुज प्लाट नं०–2 बादहू वादी का प्लाट नं०–1 बाद प्लाट दिनेश कुमार पुरवार, पूरब त्रिवेदी राईस मील , पश्चिम कानपुर झाँसी राजमार्ग बादहू भवन भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुखरायाँ अंकित की गयी है तथा विवादित स्थल की लम्बाई पूरब– पश्चिम 80 फीट तथा चौड़ाई उत्तर –दक्षिण 6 फीट बताया गया है। वादी द्वारा उक्त प्लाट पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया गया है। पत्रावली पर दाखिल किये गये अभिलेखों से वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन बनता प्रतीत होता है। न्यायालय की राय में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पारित होने में विलम्ब होता है तो वाद प्रस्तुत करने का उददेश्य विफल हो जायेगा तथा प्रतिवादी की तुलना में वादी को अधिक असुविधा होगी और क्षति कारित हो सकती है।

इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **मुकेश कुमार श्रीवास्तव बनाम अपर जिला जज, इलाहाबाद ए०सी०जे० 1998** पेज–13 Civil Misc. Writ Petition no.6025 of 1998 decided on 4th March,1998 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति को संरक्षित किये जाने हेतु अन्तिरम व्यादेश का आदेश पारित किया जाना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **महरवाल खेवाजी ट्रस्ट बनाम बलेदव दास 2004(57)ए०एल०आर० 428** के मामले मं यह अभिनिर्धारित किया गया है कि After filing of the suit–Normally nature of property should not be allowed to be change–Unless it entails irreparable loss of damage. Change of nature of property includes alienation of property which may lead to loss or damage being caused to the party which may ultimately succeed And may lead to multiplicity of proceeding– In case the stand of parties seeking interim injunction is found untenable–The other side can always be compensated by damages for loss suffered.

पारसनाथ सिंह बनाम श्रीमती सिरताजी कुँवारी एवं अन्य 2012(117)आर०डी० 143 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्तरिम व्यादेश का प्रदान किये जाने का आधारभूत प्रयोजन वाद के लम्बित रहने के दौरान पक्षकारों के बीच में कार्य व्यवहार की स्थिति और साथ ही साथ वाद सम्पति की सुरक्षा करना है।

उपरोक्त तथ्यों एवम परिस्थितियों में वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को निषेधित बनाये रखने की सीमा तक एक पक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग2 एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये एक पक्षीय अंतिरम आदेश अग्रिम नियत तिथि तक वादी के प्रश्नगत प्लाट विवादित स्थल जिसकी माप लम्बाई पूरब– पश्चिम 80फीट, चौड़ाई उत्तर– दक्षिण 6फीट तथा जिसकी चौहद्दी उत्तर भक्कूलाल गुप्ता का मकान, दक्षिण वादी का जुज प्लाट नं०–2 बादहू वादी का प्लाट नं०–1 बाद प्लाट दिनेश कुमार पुरवाल, पूरब त्रिवेदी राईस मील, पश्चिम कानपुर झाँसी राजमार्ग बादहू भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुखरायाँ स्थित राजेन्द्र नगर मौजा नगर पालिका पुखरायां_परगना व तहसील भोगनीपर जिला कानपुर देहात पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप न करें।

वादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन सुनिश्चित करे। वादी द्वारा यदि आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन न होने की स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी नहीं माना जायेगा। वादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तथा प्रतिवादी के उपस्थित आने पर एवं आपत्ति प्रस्तुत करने पर अविलम्ब प्रार्थना पत्र 6ग2 पर अपनी बहस सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके।

किसी सक्षम न्यायालय के इस आदेश के प्रतिकूल कोई आदेश होने की दशा में इस न्यायालय का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 हेतु दिनांक 03/02/2022 को पेश हो।

(कृपा शंकर)
सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर
कानपुर देहात।
I.D –U.P 02625